



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102026-276784
CG-DL-E-05102026-276784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5042]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5042]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2026

का.आ. 5249(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 1130 दिनांक 12.03.2025 का.आ. 1143(अ) दिनांक 12.03.2025 भाग (II), खण्ड (3), उपखण्ड (II) में किया गया है, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य की तहसील झाँसी जिला झाँसी व तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात की भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) तक एलपीजी परिवहन के लिए आई. एच. बी. लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे “कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) परियोजना” के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जनता को दिनांक 07 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में श्रीअबुल कलाम, सक्षम प्राधिकारी, आई. एच. बी. लिमिटेड, कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन, लखनऊ (यू.पी.) ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई. एच. बी. लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई. एच. बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा, या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

“अनुसूची”

तहसील – झाँसी

जिला – झाँसी

राज्य – उत्तर प्रदेश

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
लकारा	435	00	04	18
बेहटा	1011	00	03	25

तहसील – अकबरपुर

जिला – कानपुर देहात

राज्य – उत्तर प्रदेश

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
मोहाना	794	00	03	00

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1-भाग (2)/ई-57270]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

S.O. 5249(E).— Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No. 1130 Dated 12.03.2025, S.O. No. 1143(E) Dated 12.03.2025 Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act-1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Jhansi District Jhansi & Tehsil Akbarpur District Kanpur Dehat in Uttar Pradesh State, Specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla to Gorakhpur by the IHB Ltd for implementing the Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project.

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 07 April 2025.

And whereas Shri Abul Kalam, Competent Authority, IHB Limited, Kandla Gorakhpur LPG Pipeline Project, Lucknow (U.P.) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this

notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Ltd, free from all encumbrances.

IHB Ltd. shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act-1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

"SCHEDULE"

Tehsil: - Jhansi

District: - Jhansi

State: - Uttar Pradesh

Mouja / Village	Survey/Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
LAKARA	435	00	04	18
BEHTA	1011	00	03	25

Tehsil: - Akbarpur

District: - Kanpur Dehat

State: - Uttar Pradesh

Mouja / Village	Survey/Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
MOHANA	794	00	03	00

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I-Part (2)/E-57270]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.